

Government of India(Bharat Sarkar)
Ministry of Railways(Rail Mantralaya)
Railway Board

.....

R.B.E No. 115/2014

No.E(G)2009 QR-1-2

New Delhi, Dated: 20.10.2014

The General Managers,
All Indian Railways and
Production Units (others as per standard list).

Sub: Extension of the period of retention of Railway accommodation at the previous place of posting in favour of officers/staff posted to ECR & NWR.

Ref: Board's letter No.E(G)2009 QR-1-2 dated 07.05.2014.

The issue of permitting the Railway Officers/Staff posted in the ECR and NWR to retain Railway quarters at their previous places of posting has been considered by the Board.

2. In exercise of its powers to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees, in all or any of the existing provisions regarding house allotment/retention, the Board have decided **that permission for retention of Railway accommodation at the previous place of posting in favour of officers/staff posted to ECR and NWR be granted upto 31.12.2015 in supersession of Board's earlier instructions dated 07.05.2014.**

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.



(S.K. Panda)

Dy. Dir.Estt. (Genl.)

No.E(G)2009 QR-1-2

New Delhi, Dated: 20.10.2014

1. FA & CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. Deputy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 46 spares).



FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 115/2014

सं. ई(जी) 2009 क्यूआर 1-2

नई दिल्ली, दिनांक 20.10.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
(अन्य मानक सूची के अनुसार)


विषय: पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों की पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अवधि बढ़ाना।

पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में तैनात रेलवे अधिकारियों/ कर्मचारियों को पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति देने के मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

2. बोर्ड ने मकान के आबंटन/इसे अपने पास रखने से संबंधित सभी अथवा किन्हीं मौजूदा प्रावधानों में कर्मचारियों की श्रेणी/ग्रुप के लिए जनहित में समुचित रियायत देने के लिए उनके पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय किया है कि पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास को पास रखने की अनुमति बोर्ड के दिनांक 07.05.2014 के पहले अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए 31.05.2014 तक दी जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।



(एस. के पांडा)

उप निदेशक, स्थापना(सा.)


सं. ई(जी) 2009 क्यूआर 1-2

नई दिल्ली, दिनांक 20.10.2014

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां ।

2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।

3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (46 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

.....2/----